

आयुक्त न्यायालय, सारण प्रमंडल, छपरा।

बिहार भूमि विवाद निराकरण वाद सं०- 334/2014

मुन्ना मियाँ एवं अन्य

बनाम

कमालुद्दीन अहम्मद एवं अन्य

आदेश

2.5.15

प्रस्तुत अपीलवाद भूमि सुधार उप समाहर्ता, गोपालगंज द्वारा भूमि विवाद निराकरण वाद सं०- 17/2013-14 में दिनांक 31.10.2014 में पारित आदेश के विरुद्ध दायर की गई है।

संक्षेप से वाद का तथ्य यह है कि वर्तमान वाद के प्रतिवादी एवं अन्य द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्ता, गोपालगंज के समक्ष वाद दायर की गई कि सरैया वार्ड नं०-1155 खाता नं०-187 के कुल रकबा में से 4 कट्टा भूमि की नापी कराकर अलग किया जाये। भूमि सुधार उप समाहर्ता द्वारा उक्त वाद के प्रतिवादियों को नोटिस निर्गत कर उभय पक्षों को सुनने के पश्चात् इस वाद का निस्तार दिनांक 31.10.2014 को किया गया और यह आदेश दिया गया कि अंचालाधिकारी, गोपालगंज अंचल अमीन द्वारा भूमि की नापी कराकर भूमि का सीमांकन करावे। भूमि सुधार उप-समाहर्ता के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह वाद लाया गया है।

पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना।


अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस प्रारंभ करते हुए कहा कि निम्न न्यायालय का आदेश पूर्णतः गैर कानूनी एवं क्षेत्राधिकार से बाहर का है क्योंकि विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्ता के समक्ष लाया गया मामला को अधिनिर्णय के लिए वे सक्षम प्राधिकार नहीं हैं। साथ ही अभिधान एवं अभिधान की घोषणा संबंधि अनुतोष का निर्णय बिना मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्यों के नहीं किया जा सकता है। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि इस वाद में मूलतः रास्ते का विवाद है जो कि अस्तित्व में है या नहीं इसका समुचित निर्णय सक्षम न्यायालय द्वारा गवाही के पश्चात् ही हो सकती है। आगे इनके द्वारा विवाद के इतिहास पर प्रकाश डालते हुए कहा गया कि विवादित भूमि का कुल रकबा 12 कट्टा 2 धुर है जिसके वास्तविक मालिक गुलजार मियाँ और गुमराती मियाँ दो भाई थे जिसमें से गुमराती मियाँ द्वारा अपने हिस्से की 6 कटा 01 धुर भूमि को वर्तमान अपीलार्थी के पिता को बेच डाला एवं उसके पश्चात् अपीलार्थी के पिता द्वारा उक्त खरीदगी भूमि में से 2 कट्टा 16 धुर गुलजार मियाँ के पुत्र को बेच दिया और गुलजार द्वारा शेष 4 कट्टा नखा राय पुनः नखा राय द्वारा इमतियाज को अंत में इमतियाज द्वारा कमालुद्दीन को बेचा गया। आगे अपीलार्थी के अधिवक्ता ने कहा कि पक्षकारों के बीच हकियत नं०- 256/65 जो कि सुलहनामा के आधार पर निपटारा हुआ था जिससे संधि पत्र में रास्ता का उल्लेख है परन्तु प्रतिवादी द्वारा उक्त रास्ते की जमीन को अपना निजी जमीन बताते हैं। अन्त में विद्वान अधिवक्ता का यह कहना है कि सक्षम व्यवहार न्यायालय द्वारा जब हकियत वाद का निपटारा सुलहनामा के आधार पर हुआ है तो विपक्षी को पुनः इसके संबंध में उत्पन्न विवाद का निपटारा सक्षम व्यवहार न्यायालय से ही कराया जा सकता है न कि बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम के तहत। इसलिए भूमि सुधार उप समाहर्ता का आदेश पूर्णतः गैरकानूनी एवं खारिज योग्य है।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा वादी के अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत दलीलों का समर्थन करते हुए कहा गया कि इस वाद में हकियत का तात्त्विक प्रश्न अंतग्रस्त है जिसका निर्णय सक्षम व्यवहार न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है एवं इस तरह के जटिल विषयों का अधिनिर्णय करने की अधिकारिता वर्तमान कानून में भूमि सुधार उप समाहर्ता को प्राप्त नहीं है। इसलिए भूमि सुधार उप समाहर्ता के आदेश को निरस्त किया गया अवैधानिक नहीं होगा।


वाद के तथ्यों, परिस्थितियों एवं भूमि सुधार उप समाहर्ता के आक्षेपित आदेश एवं पक्ष एवं विपक्ष द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर विचारोपरान्त यह प्रतीत होता है कि वाद की विषय हकियत, अभिधान की घोषणा इत्यादि से संबंधित है। दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा भी इस तथ्य को स्वीकार किया जा रहा है कि इस तरह के मामले का निर्णय करने का अधिकार बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम-2009 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत भूमि सुधार उप समाहर्ता को प्राप्त नहीं है इसलिए विवादित आदेश खारीज योग्य है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं उभय पक्षों के अधिवक्ताओं के निवेदन के आलोक में भूमि सुधार उप समाहर्ता, गोपालगंज का आदेश दिनांक 31.10.2014 को विखंडित करते हुए अपील आवेदन का निस्तार किया जाता है।

लेखापित्र एवं संशोधित



आयुक्त,
सारण प्रमंडल, छपरा।



आयुक्त,
सारण प्रमंडल, छपरा।